झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

21 फाल्गुन, 1937 (श०)

संख्या **231** राँची, शुक्रवार

11 मार्च, 2016 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

11 मार्च, 2016

विषयः- **W.P. (PIL) No.-3290/2014** राधादेवी-बनाम्-झारखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित न्यायादेश दिनांक-**09.12.15** के अनुपालन में झारखण्ड भूदान यज्ञ अधिनियम **1954 (**झारखण्ड अधिनियम**, 12, 1954)** की धारा-(**3)(1)** के अन्तर्गत भूदान भूमि के वितरण एवं अनुश्रवण हेतु झारखण्ड भूदान यज्ञ कमिटी के गठन संबंध में।

अधिसूचना सं.-*6/**मुक.(भूदान)-**380/14-1031/**रा.--***राजस्व विभागीय अधिसूचना संख्या-**971/**रा.**,** दिनांक-**22.02.02** के तहत झारखण्ड सरकार द्वारा बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम**, 1954** को अंगीकृत किये जाने के पश्चात् झारखण्ड राज्यान्तर्गत भूदान यज्ञ कमिटी के कार्य संचालन हेतु विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक-**5387/**रा.**,** दिनांक

28 नवम्बर, 20**02** के तहत अध्यक्ष सहित कुल छः सदस्यों की नियुक्ति/मनोनयन करते हुए भूदान यज्ञ कमिटी का गठन किया गया था।

(2) विभागीय अधिसूचना संख्या-**1411**/रा. दिनांक **03** मई, 20**05** के द्वारा तत्कालीन कमिटी को बर्खास्त कर दिया गया है। सम्प्रति झारखण्ड राज्यान्तर्गत भूदान यज्ञ कमिटी कार्यरत नहीं है।

(3) **W.P. (PIL) No.-3290/2014** राधादेवी-बनाम्-झारखण्ड राज्य एवं अन्य में झारखण्ड भूदान अधिनियम, **1954** में वर्णित सुसंगत धाराओं के तहत् भूदान भूमि को जरूरतमंद भूमिहीन परिवारों के बीच भूमि वितरण में की गई अनियमितता की जाँच एवं अपेक्षित कार्रवाई हेतु याचिकाकर्ता राधा देवी द्वारा एक उच्चस्तरीय कमिटी के गठन सहित उन्हें हजारीबाग जिलान्तर्गत ग्राम-कचनपुर में भूदान भूमि आवंटित किये जाने के बिन्दु पर माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची में याचिका दायर की गई।

(4) विधिक सेवा प्राधिकार, **1987** के प्रस्तावना में यह उल्लिखित है कि प्राधिकार समाज के कमजोर वर्ग को न्याय दिलाने का कार्य करेगा। उक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार **(National Legal Services Authority)** ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकार **(State Legal Service Authority)** को कल्याणकारी कार्यक्रमों को लागू करने में अपनी भूमिका निभाने का निदेश दिया है।

झारखण्ड राज्य में विधिक सेवा प्राधिकार गरीबों एवं जरूरतमंद लोगों को ऐसी जनोन्मुखी योजनाओं से लाभान्वित करने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। अतएव उक्त परिपेक्ष्य में विषयगत वाद में माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक-**09.12.15** के द्वारा झारखण्ड भूदान यज्ञ अधिनियम, के तहत भूदान भूमि को भूमिहीन परिवारों के बीच प्रभावी ढंग से वितरित करने एवं प्रभावी ढ़ंग से अनुश्रवण हेतु एक कमिटी के गठन का आदेश दिया गया है।

(5) राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा **W.P. (PIL) No.-3290/2014** राधादेवी-बनाम्-झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक **09** दिसम्बर, **2015** को पारित न्यायादेश के

अनुपालन में झारखण्ड भूदान यज्ञ अधिनियम, **1954** (झारखण्ड अधिनियम, **12, 1954)** की धारा-(**3**)**(1)** के अन्तर्गत झारखण्ड सरकार द्वारा झारखण्ड भूदान यज्ञ कमिटी का गठन किया जाता है।

अधिनियम की धारा- (**4**)**(1)** के अनुसार भूदान से प्राप्त भूमि को भूमिहीनों के बीच वितरित करने एवं भूदान भूमि का शुद्धि पत्र निर्गमन/निष्पादन, अनुश्रवण एवं इसका सशक्त ढंग से कार्यान्वयन करने के साथ कार्रवाई के निमित्त कमिटी गठित करने का निर्णय करते हुए निम्नवत् सदस्यों को मनोनीत किया जाता है:-

(क) सभी जिलों के उपायुक्त

(ख) प्रत्येक जिले के प्रधान जिला न्यायाधीश जो जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पदेन अध्यक्ष हैं।

(ग) सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार

(घ) प्रत्येक जिला के उपायुक्त द्वारा मनोनीत एक पदाधिकारी।

(6) कार्यपालक अध्यक्ष, राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के समुचित आदेश से अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार, प्रशासनिक शिकायत जाँच अधिकारी (**Ombudsman**) की तरह भूमिका निभाने एवं गरीब, भूमिहीन व्यक्तियों को भूदान अधिनियम के तहत भूमि प्राप्त करने में सहायता प्रदान करने हेतु प्राधिकृत होंगे। भूमिहीन व्यक्तियों के बीच इस कल्याणकारी योजना के अंतर्गत भूमि वितरण के सशक्त कार्यान्वयन हेतु गठित कमिटी, अगला रूपरेखा तय करेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

उदय प्रताप,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,

झारखण्ड गजट (असाधारण) 231—50 ।